

प्रेषक,

आशीष तिवारी,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त उप वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-4

लखनऊ:दिनांक: अगस्त, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जिला सेक्टर की सामाजिक वानिकी योजना हेतु आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 875.00 लाख का जनपदवार/प्रभागवार एवं लेखा शीर्षकानुसार आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या पी-225 /36-बी-15(जी)/एस0सी0एस0पी0 (2017-18), दिनांक 19-08-2017 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबंधों के अधीन वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत जिला सेक्टर की सामाजिक वानिकी योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 875.00 लाख (रू0 आठ करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि वर्ष 2016-17 हेतु नियोजन विभाग के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-9/1/35-आ-2/2015-12, दिनांक 29.11.2016 से स्वीकृत परिव्यय को वर्ष 2017-18 का अनन्तिम परिव्यय मानते हुये संलग्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

योजना का नाम	अनन्तिम परिव्यय	वर्ष 2017-18 के पूरे वर्ष के लिए व्यय हेतु आय-व्ययक प्राविधान	वर्ष 2017-18 के लिए प्रथम पाँच माह (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) व्यय हेतु लेखानुदान द्वारा जारी स्वीकृति	अवशेष धनराशि (3-4)	अतिरिक्त स्वीकृति जारी किये जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6
1-सामाजिक वानिकी (एस.सी.एस.पी.)	10281.10	1500.00	625.00	875.00	875.00
योग:-	10281.10	1500.00	625.00	875.00	875.00

(रू0 आठ करोड. पचहत्तर लाख मात्र)

- 2- नियोजन विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-9/1/35-आ-2/2015-12, दिनांक 29.11.2016 द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए स्वीकृत परिव्यय को वर्ष 2017-18 का अनन्तिम परिव्यय मानते हुए जनपदवार अनन्तिम परिव्यय के सापेक्ष अनन्तिम रूप से स्वीकृतियां निर्गत की जा रही हैं। वर्ष 2017-18 हेतु नियोजन विभाग से परिव्यय अनुमोदित होने के उपरान्त उक्त आवंटन की सीमा तक समायोजित किया जायेगा।
- 3- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। अतः जिस व्यय के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा शासन के वर्तमान आदेशानुसार शासन की अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति लिया जाना अपेक्षित है, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज वित्तीय नियमों के अधीन ही किया जाय। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/ दस-2004-1/2004, दिनांक 07-01-2005 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 4- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/ वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 8 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 5- स्वीकृत धनराशि के विरुद्ध उक्त योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/प्रभागवार भौतिक लक्ष्य तथा समय सारणी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। उनके द्वारा आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित समय-सारणी के अनुसार सुनिश्चित की जाय। योजनावार स्वीकृत धनराशि से किसी अन्य योजना का कार्य कदापि न कराया जाय।
- 6- उक्त योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के नियमानुसार समुचित उपयोग हेतु संबंधित मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं कराए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता तथा नियमानुसार निष्पादन हेतु उनकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
- 7- आवंटित धनराशि को यदि किसी ऐसे मद पर जिसके लिए वित्तीय हस्त-पुस्तिका एवं बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो, बिना स्वीकृति प्राप्त किये व्यय कदापि न किया जाय।
- 8- अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाए और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाए।
- 9- आवंटित धनराशि के सभी बिलों चाहे वे वेतन आदि से संबंधित हों अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, पर अनुदान संख्या-83 सहित सही एवं सम्पूर्ण मुख्य, उप मुख्य, लघु, उप लघु, विस्तृत शीर्षक एवं मानक मदों को अंकित किया जाए ताकि महालेखाकार उत्तर प्रदेश को सही आकड़े के पुस्तांकन में कठिनाई न हो।
- 10- उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अधीन लेखाशीर्षक-4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-01-वानिकी-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-सामाजिक वानिकी(सी0सी0एल0) (जिला योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

11- कृपया आवंटित व्यक्तिगत रूप से यह भी सुनिश्चित करें कि इन आवंटन से आपसे सम्बन्धित प्रभाग से आहरित की गयी धनराशि की प्रगति तथा भौतिक उपलब्धियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र तथा बी0एम0-13 प्रपत्र में संकलित कर प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक /वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, संबंधित जोनल मुख्य वन संरक्षक तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दिया जाये।

12- धनराशि के आवंटन की इस प्रक्रिया को अपनाने से विभागाध्यक्ष/वन संरक्षकों के निर्धारित उत्तरदायित्व पूर्ववत् बने रहेंगे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा आवंटित भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति तथा कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक उत्तरदायित्व होंगे। अतः यह आवश्यक है कि समस्त जिला स्तरीय योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की प्रगति की अनुश्रवण प्रत्येक माह करते रहें तथा प्रगति से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अवगत कराना सुनिश्चित करें, जो प्रत्येक स्तर की संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे।

13- उपरोक्त के अतिरिक्त शासन के नियोजन तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मार्ग निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

14- जिला योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों में क्षेत्रवार निश्चित योजना (लोकेशन स्पेसिफिक एक्शन प्लान) की प्रतियां जिला समन्वय निस्तारण अधिकारी द्वारा जनप्रतिनिधियों, आयुक्त जिला अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। यह सूचना क्षेत्र व ग्राम स्तर पर भी अवश्य उपलब्ध करायी जाय, ताकि वन एवं वन्य जीव विभाग के कार्य कलापों की जानकारी जन साधारण में रहें व कार्यों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता बनी रहें।

15- उक्त के अतिरिक्त इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

16- व्यय को विभागीय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तथा अनुश्रवण समय सारणी भी प्रभागीय स्तर से लेकर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्तर तक सुनिश्चित कर ली जाय।

17- पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने हेतु अधिकारों, दायित्वों एवं कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण हेतु उत्तर प्रदेश शासन के परती भूमि विकास अनुभाग के शासनादेश संख्या-406/14- प0भू0वि0/99-3/99, दिनांक 19-03-1999 के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित किया जाए।

18- योजनान्तर्गत कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रतिनिहित अधिकारों तथा निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं। कृपया इसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(आशीष तिवारी)

विशेष सचिव।

संख्या- 1640(1)/ 14-4-2017-39(बजट)/2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को मय संलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (द्वितीय), लेखा एवं हकदारी, चतुर्थ तल हाल नं0 2,आडिट भवन टी0सी0 35, वी 1 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी, दक्षिणी, केन्द्रीय, बुन्देलखण्ड, रूहेलखण्ड, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश तथा मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, पश्चिमी, वन्यजीव, पूर्वी, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति तथा कार्यों की गुणवत्ता अपने स्तर से सुनिश्चित करायें।
9. समस्त वन संरक्षक/समस्त क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
10. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त संलग्नकों में इंगित जनपदवार प्रभागवार, आहरण एवं वितरण अधिकारीवार संशोधित धनराशि की साख-सीमा अपने स्तर से सम्बन्धित निस्तारण अधिकारियों को निर्गत करने का कष्ट करें।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2 (नियोजन विभाग).
14. वित्त (व्यय-नियंत्रण, अनुभाग-7)/वित्त आय-व्ययक (अनुभाग-1).
15. वन अनुभाग-1, 2, 3 तथा 5.
16. निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, उ0प्र, लखनऊ।
17. कम्प्युटर/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग उ0 प्र0 शासन।
18. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

संलग्नक-यथोपरि

आज्ञा से,

(हलधर प्रसाद मिश्रा)

उप सचिव।